BCCI BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Vol. XXXXV | 29th January 2014 | No. 2

चैम्बर अध्यक्ष ने इलेक्ट्रिक ट्रेड एक्सपो-2014 का किया उद्घाटन

ट्रेड एक्सपो का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँयें से प्रथम)। उनकी दाँयी ओर क्रमशः पेटा के अध्यक्ष श्री दिनेश अग्रवाल, ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्रा० लि० के सीएमडी श्री जाधव जी लालजी शाह (एंकरवाला) एवं अन्य।

पटना इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन (पेटा) के तत्वावधान में दिनांक 12-13 जनवरी 2014 तक चलने वाले इलेक्ट्रिक ट्रेड एक्सपो 2014 पटना के तारा मंडल स्थित सभागार में आयोजित हुआ। इस इलेक्ट्रिक ट्रेड एक्सपो-2014 का उद्घाटन श्री जाधव जी लालजी शाह (एंकरवाला), सी.एम.डी. ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एवं श्री पी० के० अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने किया।

इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि बिजनेस में सिद्धांत जरूरी है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। जो एक बार कह दिया उसी पर कायम रहना चाहिए। अधिक फायदा देखकर बदलाव नहीं करना चाहिए। इससे आगे चलकर इमेज पर प्रभाव पड़ता है ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने एक्सपो को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्री लालजी साह सहित अन्य कारोबारियों को बिहार में निवेश का न्योता दिया गया है। वे बिहार में उद्योग लगायें, उन्हें हमारा भरपूर सहयोग मिलेगा, किसी प्रकार की परेशानी उन्हें नहीं होगी। चैम्बर अध्यक्ष ने इलेक्ट्रिक ट्रेड एक्सपो-2014 आयोजित करने के लिए पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन की प्रशंसा की।

पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य लोगों को बिजली के उपकरणों की सही जानकारी देना है। इस एक्सपो में इस व्यवसाय से जुड़े काफी लोगों ने अपनी भागीदारी निभायी।

दिनांक 26 जनवरी 2014 को पूर्वाह्न 11 बजे चैम्बर प्रांगण में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 65वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

बिहार में एंकर खोलेगी पेंट फैक्टरी

बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। पेंट, ब्रश, पेन साहित कई उत्पादों का निर्माण करने वाली एंकर कंपनी बिहार में भी निवेश करेगी। ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी जाधव जी लालजी शाह (एंकरवाला) ने प्रभात खबर से विशेष बातचीत में कहा कि पूरा देश इस बात को मानता है कि बिहार के लोग हर काम में आगे रहते हैं। चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो या मेहनत के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास तेजी से हो रहा है। इसलिए हम भी निवेश को इच्छुक हैं। बिहार में एक से डेढ़ वर्षों में एंकर पेंट की फैक्टरी स्थापित करेगी। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इससे 3,000 से अधिक लोगों को फायदा पहुंचेगा। पेंट के माल ढुलाई में खर्च भी अधिक पड़ता है। कंपनी फैक्टरी स्थापित करने से लेकर अन्य कामों में लगभग 100-125 करोड़ का निवेश करेगी। पूरे बिहार में पेंट का मार्केट व्यवसाय 500 करोड़ रुपये से अधिक का है। यहां काफी संभावनाएं हैं और ग्रोइंग स्टेट है। बिहार का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। उन्होंने कहा कि उद्योग के आने से न सिर्फ लोगों का रोजगार बढ़ेगा, बल्कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य का विकास होता है, तो निश्चित रुप से पूरे देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में राज्य में कारोबार बढ़ाने का वातावरण बना है। (साभार : प्रभात खबर, 13.1.2013)

MEMORANDUM BEFORE THE 14TH FINANCE COMMISSION BY BIHAR CHAMBER OF COMMERCE &INDUSTRIES

On January 06, 2014

The Bihar Chamber of Commerce & Industries is extremely grateful to the Chairman and Members of the XIVth Finance Commission for having given us the opportunity to place Chamber's point of view before the commission. Though we are the signatory of joint representation with all political parties of Bihar, but we are submitting these suggestions for the kind consideration of the Commission exclusively to ensure proper growth of trade and industry in Bihar.

Bihar has an area of 94163 square kilometers which is 2.8% of the total area of the country and the present density of population is 1100 persons/Sq. Km which is much higher than the national coverage.

The State Domestic Products and per capita income is very low as compared to national average. With the reference to different development index such as per capita Electricity, Education, Health, Road, Rail etc. State of Bihar is very low compared to developed state. The slow growth of SDP and per capita income is attributable to a large extent to low level per capita State Plan and inadequate Central assistance as well as inadequate flow of institutional finance. The people of Bihar require special support from Finance Commission to reach the national average in a time bond manner.

We, therefore, request the fourteenth Finance Commission to consider Bihar as a Economically and Industrially Backward State and frame Special Norms for the State at par with Himachal Pradesh and North Eastern States.

Adequate Devolvement of Taxes

To promote equity and to reduce disparity among States, there is an imperative need to provide special assistance. Under the present financial dispensation, most of the high yielding taxes are within the jurisdiction of the Central Government. It is therefore urged that the Finance Commission should look into the aspect so that discretion is reduced. One of the simple ways for reducing the current size of discretion would be to increase the size of shared taxes by including some additional tax heads. ***The Commission should consider enlarging the divisible pool to 50 percent of the net tax revenue of the Central Government.***

Recommendations of 14th Finance Commission on the basic population as 2011 census instead of 1971 census

As per paragraph 4 of the notification constituting Fourteenth Finance Commission generally population of 1971 is to be taken for devolution of taxes and duties, but Commission is entitled to take into consideration demographic changes that have taken place subsequent to 1971. BCCI finds more than 40 years old population figure totally out of place, and further the state has been bifurcated, hence request the commission to take into consideration figures of 2011census, which are available.

Infrastructural Deficiency

The state of Bihar has lost as a consequence of its bifurcation almost all the mines and minerals and a major portion of forests.

The bifurcation also resulted in 75% of the population of remaining in Bihar with only 25% of public assets. This bifurcation has led the state of Bihar to absolute loss of base for economic growth .

It is therefore imperative upon the finance commission to devolve a major part of the central taxes to Bihar enabling it to catch-up with the advance states in terms of infrastructure and thereby attracting investment in the state.

It is also urged upon the Commission that the grant received from the union government from external funding agencies be passed on to the States as grants and not as 70 percent loan and 30 percent grant.

CD Ratio & Compensation Thereof

Historically the state of Bihar was neglected under the colonial rule and unfortunately the freight Equalisation of minerals investment went to state which were already developed and flight of capital took place.

This prevented the state in utilizing the deposit in the state absorbing credit. The finance commission should be consider compensating Bihar enabling the state to improve its infrastructure thereby improving its ability of credit absorption.

Special Grants to the State

Due to freight Equalisation the capital base of the state was eroded and bifurcation of the state rendered Bihar bereft of all industries and minerals making the state of Bihar an agricultural state.

When the state was bifurcated the center had agreed to provide special package for Bihar offsetting the losses incurred due to the bifurcation.

It is therefore suggested at the 14th Finance Commission provide for special grant for the state of Bihar. For overall development of infrastructure, civic amenities and industrial development particularly for New Airport,laying of Gas pipeline within State, Power Generation, Transmission & Distribution and Introduction of Metro Rail.

Civic Amenities

In Bihar urbanization is very low i.e. 11.3% as compared to national average. The 14th Finance Commission is requested to give suitable grant for rapid urbanization of the state of Bihar.

There is requirement of basic civic amenities such as drinking water, provision of drainage, sewerage. The 14th Finance Commission is requested to special grant for same.

Creation of Land Bank

Since Bihar is primarily an agriculture based economy and a very high density of population per Square kilometer land has become a very costly input for setting-up industries.

The state government is not in a position with its present resources to create a land bank.

The Finance Commission should provide special grants enabling the state to buy land and create a land bank for the industries to be set-up.

Revival of State Financial Institution

The credit availability is extremely poor. The state financial institutions use to lend for term loan and working capital loan to small and medium industries since both BSFC and BICICO are no longer being refinanced by SIDBI they have become sick leading to complete stoppage of finance to small scale industries there by stopping the growth of small scale industries in Bihar.

You are aware that the small and medium industries create jobs and this would improve the unemployment condition and improve per-capita income.

It is therefore imperative for the finance commission to arrange funds for these institutions by way of special grants.

केन्द्रीय करों से राज्यों को मिले 50 फीसदी हिस्सा

बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने केंद्रीय करों के बंटवारे के बाद अभी राज्यों को मिल रहे 32 प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। तीन दिवसीय दौरे पर छह जनवरी को बिहार पहुंच रहे चौदहवें वित्त आयोग को इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में कर और राजस्व के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

आद्री के तत्वावधान में पिछले दिनों इस संबंध में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई थी। इसमें कई व्यापारिक संगठनों व शिक्षाविदों को भी शामिल किया गया। उनकी राय के आधार पर ज्ञापन तैयार किया गया है जिसे आठ जनवरी को चौदहवें वित्त आयोग को सौंपा जाएगा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल इस बैठक में उपस्थित थे।

निर्णय : • आठ को चौदहवें वित्त आयोग को सौंपा जाएगा ज्ञापन • सभी दलों, प्रोफेशनल संगठन वे शिक्षाविदों का होगा संयुक्त ज्ञापन • पटना हवाई अड्डा के लिए भी मांगी जाएगी राशि।

वित्तीय अनुशासन की दस प्रतिशत का वेटेज देने की मांग ज्ञापन में रखी गई है। इसके अतिरिक्त बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास, पटना हवाई अड्डा के विस्तार, कृषि रोड मैप, ई गवर्नेंस के लिए राशि व बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से संबंधित मसलों को वित्त आयोग के समक्ष उठाया जाएगा। **(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 4.1.2014)**

राजनीतिक दलों की एका को 14वें वित्त आयोग ने सराहा

विकास के सवाल पर बिहार में राजनीतिक दलों के एक स्वर देखकर आयोग की टीम अचंभित रही। उसने इसे सराहा भी और कहा कि सिफारिशें करने से पहले वह बिहार से मशवरा करेगा। राज्य सरकार को ओर से सौंपे गए मेमोरेंडम की भी आयोग ने खूब तारीफ की। 14 वें वित्त आयोग ने अब तक 15 राज्यों का दौरा किया है। उसने माना है कि इस तरह का मेंमोरंडम बिहार का पहला है। वित आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने संबोधन में कहा कि उन लोगों ने पंद्रह राज्यों का अब तक दौरा किया है। सभी जगह मेमोरेंडम मिले हैं पर इस तरह का बेहतर ज्ञापन कहीं नहीं मिला। संपूर्ण तथ्य और आंकड़े, मांग को तर्कसंगत बनाते हैं। बिहार अन्य राज्यों के लिए इस मामले में माडल बन सकता है। वित्त आयोग की टीम ने बिहार की मांगों पर सैद्धांतिक सहमति भी दी। बिहार ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर कायम रहते हुए वित्त आयोग से इसके तहत मिलने वाली रियायतों के समान विशेष आर्थिक मदद का दावा भी पेश किया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.1.2014)**

आइडिया हो तो उद्योग लगाने में बाधक नहीं बनेगा पैसा

लाभकारी उद्योग का नया आइडिया लाएं और सरकारी मदद पाएं। राज्य सरकार ने औद्योगीकरण की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए इस फार्मूले पर काम शुरू किया है। बड़े उद्योग तो अपनी पूंजी से फले-फूलेंगे, लेकिन छोटे उद्योग पहले दिन से ही सरकार की मदद में बढ़ेंगे।

राज्य सरकार नये और छोटे उद्योगों के लिए कॉरपस फंड बनाने पर विचार कर रही है। विश्व बैंक ने सरकार के इस विचार पर अपनी सहमति जताते हुए मदद की पेशकश की है। कॉरपस फंड के लिए सौ करोड़ रूपये विश्व बैंक देने को तैयार है। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार इस फंड से उन उद्योगपतियों को मदद दी जाएगी, जिनके पास लाभकारी उद्योग का बेहतर आइडिया तो है, लेकिन पूंजी के अभाव में वह उसे जमीन पर उतार नहीं पाते हैं। सरकार जितना पैसा देगी उसके अनुसार उद्योग में अपना हिस्सा लेगी। संभव है सरकार शेयर न लेकर पैसे को कर्ज के रूप में उद्योगपतियों को दे। इसके बदले सरकारी दर पर उन्हें सूद अदा करना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति में ही कॉरपस फंड बनाने की बात कही है। मुम्बई में उद्यमियों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव पर विश्व बैंक ने भी सहमति जताते हुए इसके लिए सौ करोड़ देने की पेशकश की थी।

खुशखबरी : • लाभकारी आइडिया वाले को सरकार देगी मदद • विश्व बैंक की मदद से सौ करोड़ रुपये का बनेगा कॉरपस फंड • सरकार जितना पैसा देगी उसके अनुसार उद्योग में हिस्सा लेगी • नये और छोटे उद्योगों के लिए कॉरपस फंड बनाने पर विचार।

चयन को बनेगी समिति : लाभ लेने वाले उद्योगों के चयन के लिए एक समिति बनेगी। समिति में कई विभागों के सचिव के साथ बियाडा के अधिकारी, विश्वबैंक के साथ बियाडा के अधिकारी, विश्वबैंक के प्रतिनिधि, औद्योगिक तथा वाणिज्यक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यही समिति तय करेगी कि किस उद्योग के किस आइडिया को सरकारी मदद दी जा सकती है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 3.1.2014)**

कपड़ा मिलों का राज्यवार ब्योरा

राज्य	सूचीबद्ध मिलों की संख्या	सूचीबद्ध मिलों में श्रमिकों की संख्या	बंद मिलों की संख्या	बंद मिलों में श्रमिकों की संख्या
बिहार	5	2235	4	1206
झारखंड	1	707	0	0
प बंगाल	30	31991	14	21172
तमिलनाडु	956	224333	185	46981
आंध्र प्रदेश	165	54870	24	9126
महाराष्ट्र	192	101504	63	35774
गुजरात	87	95797	42	42711
हरियाणा	70	12691	40	4384
उत्तर प्रदेश	66	53804	49	46159
मध्य प्रदेश	60	62843	18	26052

(साभार : प्रभात खबर, 21.12.2013)

Corporate Transparency in India-Gets Legal Sanction with Companies Act, 2013

The new companies Act, 2013 enacted on 29 August 2013 will replace the nearly 60-year-old Companies Act, 1956. The Act aims to improve corporate governance, simplify regulations, enhance the interests of minority investors and for the first time legislate the role of whistle-blowers. There are over 300 places in the 2013 Act where rules are being prescribed, and are currently available for public comments. The concept of Corporate Social Responsibility has also been introduced to encourage socially, environmentally and ethically responsible behaviour by companies. Further, the Act seeks to fortify investor protection and transparency by introducing terms like Insider Trading, Price Sensitive Information, Class Action suits and other additional disclosures. It also intends to give greater responsibility to the auditors and to widen their role. The key areas and impact of this Act is on accounts, auditors, related party transactions, mergers and acquisition. Greater transparency would ensure increase in the quality of functioning of the company, a new way of governance, enhanced responsibility and winning the trust of investors and stakeholders.

To uphold the transparency of functioning in an organization, the Companies Act 2013 mandates that every listed company prepare a report for its AGM, which should contain:

- *Confirmation that the meeting was convened, held and conducted as per the provisions of the Act / Rules*
- *Board report to disclose managerial remuneration*
- *Requirement for Enhanced Disclosures in prospectus has been incorporated in the Act of 2013*
- *Return to be filed with registrar in case of promoter's stake changes*
- *Disclosure of interest of all directors*
- *Board to disclose all the related party transaction in its report along with necessary Justification*
- *Contracts with managing and whole time directors required to be kept at registered office, which shall be open for inspection by members of the company*
- *Director responsibility statement in the case of listed companies shall mention that, directors had laid down internal financial controls and had devised systems to ensure compliance with the applicable laws.*

It is interesting to note that India has been ranked first among the BRICS bloc of emerging economies that is Brazil, Russia, China and South Africa, in an index measuring corporate transparency, published by corruption watchdog Transparency International in October 2013. Credit for this has been accorded to Indian laws that require the publication of key financial information like corporate holdings and a country-wise breakdown of revenues and tax payments. **Source : FKCCI, Issue No. 1, Jan . 2014)**

निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

बिहार सरकार अब निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से छुटकारा दिलाने की कवायद में जुट गई है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देने का फैसला किया है। साथ ही, राज्य सरकार निवेशकों के लिए समयबद्ध तरीके से सेवाएं देने पर भी विचार कर रही है।

राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमी पंचायत में इस बारे में उद्योग विभाग को पहल करने का आदेश दिया। उद्योग विभाग के उच्च-पदस्थ सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'दरअसल, इस बारे में निवेशकों की काफी पुरानी मांग रही है। साथ ही, तकनीक के इस जमाने में निवेशकों को ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए हमने यह सेवा निवेशकों को देने का फैसला लिया है। इसके बारे में उद्यमी पंचायत में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था। हम अब इस बारे में तैयारियों में जुट गए हैं। उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष से निवेशकों को यह सुविधा मिलने लगेगी।' इस वक्त राज्य में प्रस्तावित निवेशकों को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष आवेदन करना होता है।

निवेशकों को कई विभागों से मंजूरियां हासिल करनी होती हैं। इसलिए उद्यमी काफी दिनों से राज्य सरकार से इस बारे में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देने की मांग कर रहे थे। हालांकि, नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों के लिए कुछ नई शर्तें भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत निवेशकों को अपने पास पर्याप्त पूंजी और जमीन की उपलब्धता का सबूत देना होगा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4.1.2014)**

हर बैंक में बदले जायेंगे कटे-फटे व लिखे नोट

कटे-फटे नोट या लिखे हुए नोट को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि ऐसे नोट हर बैंक शाखा में स्वीकार किये जायेंगे। आरबीआइ अधिकारियों का कहना है कि खास कर निशान बने हुए या हस्ताक्षर युक्त नोटों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।

करेंसी चेस्ट हो या न हो: ऐसे नोट को हर शाखा में बदला जाना है। यहां तक कि संबंधित शाखा में करेंसी चेस्ट हो या न हो। इतना ही नहीं, हर बैंक शाखा के एक काउंटर पर यह भी लिखा हुआ होना चाहिए कि यहां पर कटे-फटे नोट स्वीकार किये जाते हैं। ऐसी जानकारी हर बैंक शाखा में लगी होनी चाहिए। अगर कोई बैंक शाखा ऐसे नोट स्वीकार नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आम जनता शिकायत कर सकती है। पहले उन्हें बैंक के वरीय अधिकारियों से शिकायत करनी होगी। अगर वे भी ऐसे शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आरबीआइ के गांधी मैदान स्थित कार्यालय के बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं।

"नोट पर कुछ लिखें हुए, स्याही वाले या कटे-फटे नोट हर बैंक शाखा में बदले जायेंगे। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।"
— मनोज कु. वर्मा, क्षेत्रीय निदोशक (बिहार-झारंखड) आरबीआइ

(साभार : प्रभात खबर - 4.1.2014)

वाणिज्यकर विभाग 12 नए चेकपोस्ट खोलेगा

वाणिज्य कर विभाग ने इस साल 12 नए चेकपोस्ट खोलने की योजना बनाई है, ताकि राज्य में प्रवेश करने के कई मार्गों को सील किया जा सके। इससे न सिर्फ राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व की प्राप्ति होगी, बल्कि वैसे विभाग से निबंधित व्यापारी और एक नंबर का काम करने वालों को राहत मिलेगी। जानकारों का कहना है कि राज्य में अब भी कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने विभाग से निबंधन नहीं कराया है और चोरी-छुपे सामान मंगवाकर लाखों का कारोबार कर रहे हैं। चेकपोस्ट खुलने से ऐसे व्यापारियों पर शिंकजा कस जाएगा।

यहां खुलेंगे चेकपोस्ट : बक्सर स्थित सोहनीपट्टी, अम्बा, भदौर, रक्सौल, जयनगर, मैरवा, जोगबनी, मधुबन, वीरपुर, चकाई, पिरपैंती और बाराहाट में चेकपोस्ट खुलेंगे। सबसे पहले सोहनीपट्टी चेक पोस्ट खुलने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है।

बढ़ेगा राजस्व :
- बिना परमिट वाले ट्रकों पर लगेगी रोक
- वाणिज्य-कर विभाग ने शुरू की कवायद

कितने चेकपोस्ट कार्यरत : फिलहाल वाणिज्य-कर विभाग ने पांच चेकपोस्ट खोल रखा है। इनमें डोबी, रजौली, कर्मनाशा, दालकोला एवं जलालपुर शामिल है। इन चेकपोस्टों से प्रतिदिन 5000 से अधिक ट्रक पास होते हैं। इससे विभाग का राजस्व काफी बढ़ गया है। (साभार : हिन्दुस्तान, 17.1.2014)

जीएसटी और आधार से लंबी अवधि में मिलेगा फायदा

वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी यूबीएस का कहना है कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) सुधार, आधार संख्या जारी करना और मालगाड़ी विशेष मार्ग परियोजना से भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में फायदा मिलेगा।

यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में निवेशकों से कहा है कि वह चुनावी शोर शराबे में दब गए उन सुधारों की अनदेखी नहीं करें, जो बेहद अहम हैं। इन तीनों परियोजनाओं को एक साथ देखने की जरूरत है, न कि अलग-अलग। इससे निवेश चक्र में तेजी आएगी और उत्पादकता आधारित वृद्धि तेज होगी। (साभार : हिन्दुस्तान, 17.1.2014)

वाणिज्य कर के 17 संयुक्त आयुक्तों का तबादला

वाणिज्य कर विभाग ने संयुक्त आयुक्त स्तर के 17 अधिकारियों का तबादला कर दिया। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि स्थानान्तरित वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त अपने पूर्व के पदस्थापन स्थान से स्वत: विरमित समझे जायेंगे। वे उक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी को अपना प्रभार तात्कालिक रूप से सौंप देंगे।

अधिकारी का नाम -कहां थे-कहां गए- अतिरिक्त प्रभार

- **उमेश राय :** मुख्यालय - संयुक्त आयुक्त प्रशासन, पटना पूर्वी प्रमंडल -संयुक्त प्रशासन, पटना पश्चिम प्रमंडल
- **ब्रज किशोर पचेरीवाल :** पटना पूर्वी और पश्चिमी प्रमंडल, अपील-संयुक्त प्रशासन, केन्द्रीय प्रमंडल-संयुक्त आयुक्त प्रशासन, मगध प्रमंडल
- **संजीव रंजन :** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय-संयुक्त आयुक्त प्रशासन, तिरहुत प्रमंडल-संयुक्त आयुक्त प्रशासन सारण प्रमंडल व दरभगां प्रमंडल
- **छोटे लाल बैठा :** अंकेक्षण मुजफ्फरपुर-संयुक्त आयुक्त प्रशासन, भागलपुर प्रमंडल-संयुक्त आयुक्त प्रशासन, पूर्णिया प्रमंडल
- **श्रीनारायण प्रसाद सिंह :** जांच चौकी, डोभी- संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण, पटना पूर्वी प्रमंडल-संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण, केन्द्रीय प्रमंडल
- **प्रमोद कुमार ग्वालिया :** पूर्णिया अन्वेषण ब्यूरो- संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण, मगध प्रमंडल
- **परमेन्द्र नारायण मिश्र :** भागलपुर प्रमंडल प्रशासन-संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल-संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण, पूर्णिया प्रमंडल
- **सच्चिदानद झा :** संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय-संयुक्त आयुक्त अपील, पटना पूर्वी प्रमंडल-संयुक्त आयुक्त अपील, पटना पश्चिमी प्रमंडल
- **संतोष कुमार सिन्हा :** मुख्यालय, संयुक्त आयुक्त, अपील केन्द्रीय प्रमंडल, संयुक्त आयुक्त, अपील, दरभंगा प्रमंडल।
- **राज कुमार :** पटना सिटी, पश्चिमी अंचल प्रभारी -संयुक्त आयुक्त अपील, तिरहुत प्रमंडल-संयुक्त आयुक्त अपील, सारण प्रमडल। (साभार : दैनिक जागरण, 17.1.2014)

वाणिज्य-कर विभाग

अगर आप किसी बिक्री कर देय ऐसे वस्तु की खरीद कर रहे हैं जिसका मूल्य 200.00 रुपये से अधिक है, तो उक्त खरीद करने पर बिक्रेता से बिक्रय मेमों/बिल/रसीद अवश्य मांग लें, यह आपका अधिकार है।

इसके फायदे क्या हैं:-

1. वस्तु खराब रहने पर इसकी क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं। 2. वस्तु खराब निकलने पर बदल सकते हैं। 3. नकली निकलने पर बदल सकते हैं। 4. वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग/ उपयोग से जानमाल की क्षति हो सकती है, के मामलों में रसीद रहने पर आप क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।
5. विक्रेता द्वारा गलत/ एक्सपायर वस्तुओं की बिक्री करने पर, रसीद रहने से बिक्रेता के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किया जा सकता है।

प्राय: यह देखा जाता है कि दुकानदारों द्वारा रसीद नहीं दिया जाता है। सामान्यत: रसीद मांगने पर कहा जाता है कि रसीद लेने पर टैक्स (VAT) अलग से देना पड़ेगा। परन्तु सामान्यत: वस्तु का जो मूल्य बताया जाता है, उसमें कर की राशि भी शामिल रहता है। अगर आप दुकानदार से बिल/रसीद नहीं लेते हैं तो जो कर की राशि सरकार को प्राप्त होनी है, वह दुकानदार द्वारा रख ली जाती है और क्रेता/खरीददार यह गलतफहमी में रहते हैं कि उनको इस राशि का फायदा हुआ है।

- क्यों भाई कहाँ जा रहे हैं?
– अरे भाई बाजार जाना है, घर के सामान खरीदने हैं।
- अहां! ध्यान रखियेगा कि जो भी खरीद करें उसका बिल/बीजक अवश्य ले लीजिएगा।
– क्यों, क्या कोई छूट है?
- नहीं, नहीं। अरे आजकल बाजार में नकली मिलावटी सामानों की खबर आ रही है- सेल्स टैक्स, फूड, आर्थिक अपराध विभाग के रेड में ये तथ्य देखने में आ रहे रहे है? बिना पक्का रसीद जिसमें टिन (कर पहचान संख्या) अंकित हो, नहीं लेने से आपके जान एवं माल दोनों का खतरा है।
– सो कैसे भाई?
- अरे अगर नकली समान है तो वह जानलेवा भी हो सकता है अगर खराब निकला तो बदलना भी तो पड़ सकता है।
– हाँ भाई। यह तो आपने ठीक कहा अब तो मैं जरूर पक्का रसीद लूँगा।

अतएव, प्रत्येक खरीद पर बिक्रेता से बिल/रसीद अवश्य प्राप्त करें तथा बिल निर्गत नहीं करने वाले दुकानदार/बिक्रेता/व्यवसायी की सूचना विमाग को दें और राज्य के राजस्व की वृद्धि में अपना सक्रिय सहयोग करें।

व्यवसायी अपने टीन (निबंधन होने का साक्ष्य) के साथ पक्का बिल/रसीद नहीं देते हैं और इसके बदले स्टीमेट बिल या कच्चा रसीद देते हैं तो आप इसकी शिकायत वाणिज्य-कर विभाग में कर सकते हैं या विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर आपलोड कर सकते हैं। ऐसे संव्यवहार के लिए बिक्रेता के विरुद्ध अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है। (साभार : हिन्दुस्तान, 17.1.2014)

टिकाउ नहीं होगा बैंकों की शुल्क आय में सुधार!

बैंकरों व उद्योग के विश्लेषकों को डर है कि वित्त वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में बैंकों की शुल्क आय में हुआ सुधार शायद लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता है। कॉरपोरेट शुल्क आय में सुधार पिछली कुछ तिमाहियों से सुस्त ही है क्योंकि अनिश्चित आर्थिक माहौल में परियोजना का वित्त पोषण धीमा रहा है। हालांकि कार्ड पर बढ़ते खर्च थर्ड पार्टी प्रॉडक्ट्स की बिक्री में इजाफा और उपभोक्ताओं की उधारी की मजबूत मांग से बैंकों को पिछली दो तिमाही में खुदरा बैंकिंग शुल्क से ठीक-ठाक आय हुई है। इससे उन्हें कॉरपोरेट शुल्क में सुस्ती की कुछ हद तक भरपाई करने में मदद मिली है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.1.2014)**

होम लोन में दो बैंकों ने दी राहत

इंडियन बैंक और आईओबी आधार दर पर ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे कर्ज

घर खरीदने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों ने राहत दी। इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) होम लोन के लिए विशेष योजना पेश की । इसके तहत दोनो बैंक अपनी आधार दर पर होम लोन देंगे। इंडियन बैंक 10.20 फीसदी जबकि आईओबी ने 10.25 प्रतिशत ब्याज पर होम लोन देगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.1.2014)**

बाजार की कमर तोड़ रहा जाम

यहां पहुंचने में रोड़े : राजधानी पटना में कई ऐसे बाजार हैं, जहां अन्य बाजारों से सस्ता सामान मिलता है। अंटाघाट एवं मीठापुर हरी सब्जी, दलदली किराना सामग्री, हथुआ मार्केट एवं पटना मार्केट रेडिमेड कपडे, साड़ी, लहंगा, सूट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सड़कों पर जाम रहने के कारण लोग स्थानीय मार्केट में ही खरीदारी बेहतर समझते हैं।

"जाम का सीधा असर बाजारों पर पड़ा है। दुकानों में रखे सामान धूलकण से बेकार हो जाते हैं। व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। जाम के कारण पटना मार्केट, हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट जैसे बडें मार्केट में शहर के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं।" **– पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.12.2013)

ये हैं पटना की पांच बड़ी दिक्कतें

ट्रैफिक : कोई भी सड़क हो, पीक आवर में शायद ही जाम न मिले। कोई जुलूस, रैली या धरना-प्रदर्शन हो, तो फिर आर ब्लॉक गेट बंद और शहर का आधा हिस्सा ट्रैफिक जाम से तबाह। अशोक राजपथ से गुजरने में तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हर रोज स्कूल से लौट रहे बच्चे जाम में फंसते हैं।

सुरक्षा : पटना की आबादी तो बढ़ती गयी और नये इलाके विकसित होते गये, लेकिन न तो नये थाने बनाये गये और न ही पुलिस को नये किस्म की चुनौतियों से निबटने के लिए तैयार किया गया। पुलिस बल में रिक्तियां हैं। पटना में लंबे समय से पुलिस कमिश्नर का पद सृजित करने की मांग होती रही है।

शिक्षा : यह सही है कि पिछले सात वर्षों में कई नये संस्थान खुले आइआइटी, केंद्रीय विवि, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान खुले, लेकिन अब भी आइटी के क्षेत्र में संस्थान नहीं हैं। उच्च शिक्षा के पुराने संस्थान खस्ताहाल में हैं। छोटे बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की कमी है।

आवास : कंकड़बाग कॉलोनी को छोड़ दें, तो सरकारी स्तर पर कोई अन्य कॉलोनी विकसित नहीं हुई। दीघा में आवास बोर्ड ने भूमि का अधिग्रहण कर कॉलोनी की योजना तैयार की, जो लटकी रही और अंततः जमीन पर नहीं उतरी। निजी स्तर पर अब जाकर टाउनशिप बन रहे हैं, लेकिन वे भी स्तरीय नहीं हैं।

प्लानिंग की कमी : पटना का नया मास्टर प्लान अब तक तैयार नहीं हुआ। वह पिछले चार-पांच वषों से बन रहा है। अगले 20-25 वर्षों की संभावित आबादी को ध्यान में रख कर न तो सिवरेज, ड्रेनेज और न ही ट्रैफिक की कोई योजना तैयार हुई। आग लगने पर कुंआ खोदने जैसे हालात नजर आते हैं।

कौन है जिम्मेवार : सरकार या जनता?

(विस्तृत: प्रभात खबर, 4.1.2014)

RTI (Right to Information) ''सूचना का अधिकार''

आजकल सर्वत्र RTI यानि "सूचना का अधिकार" की बड़ी चर्चा है। अतः चैम्बर ने भी RTI के लिये एक Cell का गठन किया है जिसके चेयरमैन श्री किशोर कुमार अग्रवाल हैं। इनके सौजन्य से इस विषय पर एक पुस्तक चैम्बर पुस्तकालय को उपलब्ध हुई है जिस किसी भी सदस्य को इस विषय में विशेष जानकारी की आवश्यकता हो वे चैम्बर पुस्तकालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

सदस्यों के सूचनार्थ "सूचना के अधिकार" के अर्न्तगत आवेदन की प्रक्रिया, प्रारूप, शुल्क एवं किसे तथा कहाँ आवेदन करना है कि जानकारी संक्षेप में यहाँ दी रही है।

सूचना (Information) क्या है : सूचना का तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हों:-

• दस्तावेज (Documents) • कागजात (Papers) • अभिलेख (रिकॉर्ड) (Record) • ई-मेल (E-mail) • आदेश (Order) • मॉडल (model) • परिपत्र (Circulars) • नमूने (Samples) • सलाह (Advice) • लॉगबुक (Log Book) • ज्ञापन (Memos) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई सामग्री-फ्लॉपी, सीडी इत्यादि • प्रेस विज्ञप्ति (Press Release) • रिपोर्ट (Report) • मन्तव्य (Opinion) • अनुबन्ध (Contracts) इत्यादि।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना को धारा-2 (च) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-

'सूचना' से किसी भी रूप में कोई सामग्री जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदाएं, रिपोट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित महत्वपूर्ण डाटा शामिल होते हैं और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित सूचना अभिप्रेत है, जहाँ तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा पहुंचा जा सकता है।

कानून में 'सूचना' शब्द की व्यापक परिभाषा दी गई है और यह महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 'राय एवं सलाह' भी प्रकट किए जाने वाले विषयों को भी सम्मिलित किया गया है अर्थात् जब तक फाइल टिप्पणियां अधिनियम द्वारा अनुभाग-8 में विनिर्दिष्ट शुल्क मुक्त किए गए विषयों में सम्मिलित न हों, तब तक फाइल की टिप्पणियां भी दिखानी होंगी।

सूचना की परिभाषा में निर्माण, दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण भी शामिल किया गया है और उनके प्रमाणित उद्धरण भी सत्यापन के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं।

कानून के प्रावधानों के तहत सूचना देना आवयक है चाहे वह सूचना किसी भी रूप में उपलब्ध हो।

यह कार्य की पूर्ण पारदर्शिता पर बल देता है। इसमें प्रारम्भ से अन्त तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए जिससे किसी भी स्तर पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

आवेदन प्रक्रिया : इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी विभागों/संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी (PIO) या सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) की नियुक्ति की गई है। जिस विभाग/संगठन/संस्थान/निकाय से सूचना चाहिये उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास वांछित सूचना का विस्तृत विवरण देते हुए आवेदन करना चाहिये। (आवेदन का प्रारूप चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है) आवेदक को अपना नाम, पता एवं सम्पर्क सूत्र का विवरण देना अनिवार्य है।

आवेदन-शुल्क : साधारणतया पूरे देश में आवेदन शुल्क 10/- (दस) रुपये ही हैं, परन्तु हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु में 50/- (पचास) रुपये है। गुजरात में 20/-(बीस) रुपया तथा दमन और दीव में 25/- (पचीस) रुपया है। वहीं आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर निःशुल्क तथा मंडल स्तर पर 5/- (पाँच) रुपया तथा अन्य स्तर पर 10/- (दस) रुपया ही है। दस्तावेज एवं निरीक्षण हेतु अन्य शुल्क का भी प्रावधान है, जो अधिकांश वास्तविक लगत के अनुसार देय है।

सभी सूचनायें साधारणतया 30 दिनों में भेजने का प्रावधान है पर यदि निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न हुआ हो या आधी अधूरी हो तो उसी संस्थान/कार्यालय/ विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास पूर्व में दिये गये आवेदन की सभी

जानकारियों का उल्लेख करते हुए नि:शुल्क अपील किया जा सकता है। यदि फिर भी अगले 30 दिनों तक सूचना प्राप्त न हुआ हो तो द्वितीय अपील किया जा सकता है जो 90 दिनों में केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास की जा सकती है।

आवेदन का प्रारूप, प्रपत्र आदि चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है। RTI के सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों की जानकारी आगामी बुलेटिन में दी जा सकती है। सामान्यतया अंग्रेजी के आवेदक को अंगेजी में तथा हिन्दी के आवेदकों को हिन्दी में जवाब दिया जाता है।

आयकर सम्बन्धी उच्च न्यायालय के निर्णय

बिना पर्याप्त सबूत एडीशन अनुचित

आयकर आयुक्त राजस्थान बनाम डा० ए० जी० बहल (2010) 322 आई०टी०आर० 71

सिद्धान्त : आयकर आयुक्त बनाम गेटन लाइम खनिज उद्योग (2002) 256 आई. टी. आर. 243 के अपने ही कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 145 तो एसेसमेंट का बेसिस मात्र दर्शित करती है वो यह नहीं कहती कि एडिशन किताब किस प्रकार दर्शित आय में किया जावे। बुक्स को रिजेक्ट करने मात्र व कुछ गलतियाँ निकालने मात्र एडिशन्स का आधार नहीं हो सकता।

निर्णय : कोर्ट ने अपील अस्वीकार करते हुए कहा कि जो एडिशन ट्राइबुनल ने निरस्त करने का निर्णय दिया है वो न्यायोचित है।

कान्ट्रेक्ट की शर्तो की अवहेलना पर प्राप्त मुआवजा पूंजीगत प्राप्ती है

राजस्थान हाईकोर्ट

एस० जोरास्टर एण्ड कं० बनाम आयकर आयुक्त राजस्थान

केस संक्षिप्त में : करदाता ने अपना सिनेमा 17 लाख में बेचा जिसमें से 15 लाख आगे के बाकी रकम का भुगतान नहीं हुआ व एग्रीमेंट की शर्तो की अवहेलना हुई इस पर रु० 20000 का मुआवजा मिला जो केपिटल रिसिप्टस होता है।

इण्टीमेशन नोटिस के विरूद्ध धारा 15 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा सकता है

राजस्थान हाईकोर्ट

लेक पैलेस होटल्स एण्ड मोटल्स लि० बनाम धनकर आयुक्त (2012) 340 आई०टी० आर० 449

धारा 16 (1) वैल्थ टैक्स एक्ट के अन्तर्ग प्रसारित इन्टीमेशन नोटिस ऑफ डिमांड है। इन्टीमेशन के अगेन्स्ट धारा 23 व 23 ए के अन्तर्गत अपील हो सकती है। अत: कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसी इन्टीमेशन के विरूद्ध धनकर आयुक्त रिविजन के अधिकारों का प्रयोग कर आदेश धारा 15 के अन्तर्गत पारित करने में सक्षम है। (साभार : साप्ताहिक व्यापार समाचार, हापुड़, 5.1.2014)

सिर्फ नॉमिनी बनाना ही पर्याप्त नहीं वसीयत भी जरूरी

ज्यादातर लोग बेहतर कमाई के लिए व्यस्त रहते हैं और इस पर गंभीरता से विचार करते है कि हम महंगा मकान कैसे खरीद पाएंगे और शेयरों और सोने के जरिये किस तरह से कमाई की जा सकती है। ज्यादातर लोगों के लिए ऐसे लक्ष्यों के लिए एकमात्र लक्ष्य होता है अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ना। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संपत्ति सही हाथों में पहुंचे।

नॉमिनी यानी नामित व्यक्ति क्यों जरूरी है? यह वित्तीय योजनाओं में निवेश के वक्त अहम भूमिका निभाता है। नॉमिनी बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वसीयत में आपके निधन की स्थिति में किसी को आपको संपत्ति की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत होती है। उत्तराधिकार कानूनों के आधार पर नोमिनी को संबद्ध व्यक्ति से प्राप्त संपत्ति वितरित की जाती है।

वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि नॉमिनी उसे बनाया जाना चाहिए जो संबद्ध संपत्ति से जुड़ा हुआ हो। हालांकि ज्यादातर वित्तीय योजनाओं के लिए नॉमिनी को तब तक परिसंपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि वसीयत में इसका जिक्र नहीं किया गया हो। **(विस्तृत : व्यापार समाचार हापुड़, 15.12.2013)**

8333 रुपये से अधिक किराये पर कर छूट के लिए अब लगेगा पैन

अगर आप प्रत्येक महीने 8333 रुपये से अधिक किराया दे रहे है तो अपने मकान-मालिक मालकिन का पैन नियोक्ता को देना होगा। ऐसा नहीं करने पर ऑनलाईन कर जमा करते समय स्रोत पर अधिक कर कटौती होगी।

हाल में ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें किरायेदार को सालाना एक लाख रुपये या इससे अधिक की एचआरए छूट के लिए मकान मालिक की स्थायी खाता संख्या या पैन देना होगा। यह रकम हरेक महीने 8333 या इससे थोड़ी अधिक बनती है। दूसरे शब्दों में कहें तों अगर आप प्रत्येक महीने 8333 रुपये से अधिक किराया दे रहे हैं तो अपने नियोक्ता को पैन देना होगा।

(विस्तृत : साप्ताहिक व्यापार समाचार, हापुड़, 15.12.2013)

वर्ष 2013 में व्यापारियों की परेशानी

व्यापारियों को भी वाणिज्य कर विभाग से परेशानी हुई। ऑन लाइन रोड परमिट को लेकर व्यापारी परेशान रहे। उनका कहना था कि वाणिज्य कर विभाग ने इस साल रोड परमिट के नियमों में भारी फेर-बदल किया परंतु इसकी जानकारी नहीं दी गई। नियम में कुछ ऐसी चीजें जोड़ी गई जो वैट लॉ में है ही नहीं। इस बारे में टैक्सेशन बार एसोसिएशन व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के माध्यम से विभाग को अवगत भी कराया गया लेकिन अभी भी व्यापारियों की परेशानी बरकरार है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 29.12.2013)

राज्य के 33 जिलों से आने लगी ऑनलाइन जांच रिपोर्ट

पासपोर्ट जारी करने की रफ्तार में तेजी लाने के लिए सभी जिलों से ऑन लाइन पुलिस जांच रिपोर्ट मंगाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के तहत सूबे के 38 जिलों में से 33 जिलों से ऑनलाइन पुलिस जांच रिपोर्ट आनी शुरू हो गयी है। कैमूर, रोहतास, गया, जमुई व शिवहर पांच ऐसे जिले हैं जहां से अभी तक ऑनलाइन पुलिस जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा बार-बार आग्रह के बावजूद इन जिलों से पासपोर्ट कार्यालय को सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने गृह विभाग को एक पत्र लिखकर अपेक्षित सहयोग की मांग की है। अन्य जिलों से ऑनलाइन पुलिस जांच रिपोर्ट आने के चलते पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया में काफी तेजी आयी है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 4.1.2014)**

परीक्षा पास करो, सात दिनों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा अगर पास कर ली, तो सात दिनों के अंदर लाइसेंस हाथ में होगा। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पंद्रह दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। यही नहीं, ट्रांसपोर्टर सात दिनों के बदले अब सेम डे टैक्स टोकन ले सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय चालक अब लाइसेंस के लिए माह भर नहीं बैठेंगे। उन्हें महज पंद्रह दिनों में लाइसेंस प्राप्त हो जायेगा। इसी तरह, वाहनों का अस्थायी निबंधन पंद्रह दिनों के बदले सात दिनों में हो जायेगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 8.1.2014)**

Work on elevated road project gains pace

Work on the 11.9 Km elevated road corridor, connecting Patna AIIMS with Digha, has gained momentum with the construction firm, Gammon India, racing against time to complete the project in the next three years.

(Details : H. T , 4.1.2014)

अब आग लगने पर रुक जाएगी ट्रेन

रेलवे ने राजधानी व शताब्दी ट्रेनों में नई तकनीक के प्रयोग का फैसला किया है। किसी कोच में आग लगने या धुंआ निकलने पर यह प्रणाली ट्रेन में पावर ब्रेक लगा देगी। इसे प्रायोगिक तौर पर नई दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस में लगाया गया है। **(विस्तृत: दैनिक जागरण, 4.1.2014)**

वीआइपी कक्ष में घुसने से पहले देखें अपना पदनाम

रेलवे ने अधिकृत लोगों की बनायी सूची

पटना जंक्शन के विआईपी कक्ष में अब जो चाहे प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मंडल रेल प्रबंधक ने प्रवेश के लिए अतिविशिष्ट लोगों के पदनाम की सूची बनायी है।

इन्हें मिलेगी जगह : राज्यपाल, उप राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट व जिला जज, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, मंत्री, सांसद व विधायक। पूर्व सांसद व पूर्व विधायक के प्रवेश के लिए यात्रा टिकट को अनिवार्य किया गया है। पुलिस अधीक्षक व उनसे ऊपर के अधिकारी, जे ग्रेड व उनके ऊपर के रेल अधिकारी, कबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग, कुलपति, एटार्नी जनरल, चेयरमैन, सदस्य, सचिव, पीएससी, एसीएसटी व ओबीसी कमीशन अल्पसंख्यक महिला आयोग, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, आर्मी कमांडर, चीफ वाइस आर्मी स्टाफ या समतुल्य, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सचिव प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, चुनाव आयुक्तगण, सरकार के सचिव, सेक्रेटरी जेनरल मानवाधिकार, अध्यक्ष व सचिव बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राज्य सरकार के संयुक्त सचिव या समतृल्य, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज द्वारिका पीठ के नाम शामिल हैं। इसके अलावा ए.सी. प्रथम श्रेणी के टिकटघारक को शामिल किया गया है। **(साभार : प्रभात खबर, 20.1.2014)**

चैम्बर प्रतिनिधि श्री सांवल राम ड्रोलिया द्वारा मण्डल रेल परामर्शदात्री समिति के दिनांक 27 दिसम्बर 2013 की बैठक में समर्पित सुझाव

1. मुगलसराय और किउल जक्शंन के बीच पटना आने वाली ट्रेनें लेट होने लगती है। आपके आश्वासनों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। अत: इस पर ध्यान आकृषट करना चाहता हूँ।
2. **लक्खीसराय स्टेशन से T. C. कार्यालय हटा लिया गया है वहाँ अब T. C. नहीं रहते हैं जबकि लक्खीसराय जक्शन मंडल के Category-B, Modern Station, Model Station की श्रेणी में आता है। यह जिला मुख्यालय भी है।**
3. लक्खीसराय वेटिंग रूम, V. I. P. रूम की साफ-सफाई कराई जाय एवं उसकी उचित व्यवस्था की जाय।
4. पटना जक्शन पर आने वाली ट्रेनों की प्लेटफार्म संख्या अचानक नहीं बदली जाय। इसकी सूचना मैंनें Mobile पर Sr. D. C. M. साहब को भी दी है।
5. पटना से पुणे, बंगलोर, बम्बई के लिए दुरन्तों ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया था। कृप्या इसकी स्थिति को स्पष्ट किया जाय।
6. राजेन्द नगर स्टेशन पर आज तक घड़ी नहीं लग पायी है। इसे तुरन्त लगवाने की व्यवस्था की जाए।
7. भागलपुर-सुरत की बारम्बरता का प्रस्ताव आपके द्वारा 5.9.2013 को मुख्यालय भेजा गया था, इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड का क्या निर्णय आया।
8. पटना जक्शन पर ट्राली की व्यवस्था आज तक शुरू नहीं की गई। इसे अविलम्ब शुरू की जाय।
9. पटना जक्शन पर गर्मी आने के पहले सभी वाटर कुलर ठीक करवाया जाये।
10. **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारी के अनुरोध को रिजर्वेशन में प्राशमिकता दी जाय क्योंकि व्यापार के सिलसिले में उनके प्रतिनिधि को अचानक बाहर जाना पड़ता है। 11.9.2013 को आपने नोट भी किया था।**
11. ट्रेन व प्लेटफार्म पर कुछ वेंडरों के द्वारा MRP से अधिक मूल्य बराबर वसूला जा रहा है, इस पर उचित कार्यवायी अपेक्षित है।
12. यात्रियों को ट्रेन के बेड रोल में कम्बल, बेडशीट, तकिया कवर आदि गाड़ी में फटा एवं गंदा प्राप्त हो रहा है, इसमें आवश्यक सुधार अपेक्षित है।
13. गर्मी आने के पहले पटना जक्शन के सभी प्लेटफार्म के आगे एवं पीछे भी पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाय।
14. कहा गया था कि पटना जक्शन पर प्लेटफार्म बदलने की सूचना 30 मिनट पहले दी जाती है। लेकिन अभी भी उसका पालन नहीं हो रहा है। सूचना पट पर अंकित प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर बहुत बार गाड़ी आती है।
15. I. R. C. T. C. की साईट पर On ward Journey टिकट की तथा रियायती टिकटों की सुविधा प्रदान की जाय।
16. उच्च श्रेणी वेटिंग हाल का बाथरूम काफी गंदा पाया जाता है हमने कई बार इसकी जांच की है। जाँच के क्रम में यात्री विश्रामगृह तथा प्लेटफार्म पर सफाई को प्राथमिकता दी जाय।
17. ट्रेन के AC बोगीयों में चूहा एवं तेलचट्टा पाया जाता है सफाई ढंग से नहीं होती है। पर्दे भी फटे और गंदे रहते हैं।
18. पटना से खुलने वाली गाड़ी का प्लेटफार्म नं० निश्चित होना चाहिए।
19. जिस गाड़ी में Waiting List अधिक हो उनमें अतिरिक्त कोच लगाया जाय। पहले यह व्यवस्था दानापुर डिविजन में थी।
20. हमने 13.9.2013 को भी पत्र लिखा था कि लक्खीसराय जंक्शन पर पार्सल ऑफिस हटा दिया गया है, रेलवे को काफी आमदनी होती थी। यह स्टेशन Category-B, Modern Station एवं Model Station भी है। इसे पुन: स्थापित किया जाय।
21. लक्खीसराय स्टेशन के पानी टंकी की सफाई अभी तक नहीं हुई है इस सम्बन्ध में हमने DRM महोदय को SMS भी किया था।
22. ट्रेन नं० 17003 Up एवं 17004 Down दरभंगा हैदराबाद एवं 13051/13052 हावड़ा गोरखपुर भाया नरकटियागंज का ठहराव किउल जक्शन पर दिया जाय। यह स्टेशन Category 'A' model Stations, Modern Station भी है। यह जंक्शन स्टेशन है, यहाँ से जमालपुर, भागलपुर, साहेबगंज, झाझा, जसीडीह, हावड़ा जमुई, शेखपुरा, नवादा, गया, बरौनी के लिए लोग गाड़ी बदली करते हैं।
23. भागलपुर सुरत ट्रेन का कोटा बढ़ाया जाय।
24. आपने हर प्रतिनिधि से पूछा था कि आपके नाम का बोर्ड पटना के अलावे किस स्टेशन पर लगाना है। लेकिन आज तक सदस्यों के बताने के बाद भी बोर्ड नहीं लगा है।
25. **मैं DRM साहब से अनुरोध करता हूँ कि सदस्यों के किसी भी बात पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सदस्य केवल भाषण सुनने व चाय, नाश्ता के लिए आपके मिटिंग में नहीं आते हैं। सदस्य अपना कीमती समय बर्बाद कर यात्री की समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं ताकि आप उन समस्याओं का समाधान अपने या अपने पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यालय एवं बोर्ड से यथाशीघ्र करवा सकें।**
26. Capital Express में पेंट्रीकार लगवायी जाय।

आरटीपीएस में समय सीमा कम

पहले से आधे समय में मिलेंगे प्रमाण-पत्र

सेवानाम	लोक सेवक	पहले	अब
चरित्र सत्यापन	डीएसपी मुख्यालय	28 दिन	14 दिन
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस	डीटीओ	15 दिन	7 दिन
ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीय प्रति	डीटीओ	15 दिन	7 दिन
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस	डीटीओ	30 दिन	15 दिन
वाहनों का अस्थायी निवंधन	डीटीओ	15 दिन	7 दिन
निबंधन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति	डीटीओ	15 दिन	7 दिन
कर प्रतीक का निर्गमन	डीटीओ	7 दिन	1 दिन
पेट्रोल पंप लाइसेंस का नवीकरण	डीटीओ	30 दिन	15 दिन
फिटनेस प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति	एमवीआइ	10 दिन	7 दिन
जाति प्रमाणपत्र	डीएम तक	14 दिन	10 दिन
आवासीय प्रमाणपत्र	डीएम तक	14 दिन	10 दिन
आय प्रमाणपत्र	डीएम तक	14 दिन	10 दिन

(साभार : प्रभात खबर, 28.12.2013)

रसीद नहीं दी तो लगेगा जुर्माना

वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को 200 रुपए से अधिक की बिक्री पर कैशमेमो काटना अनिवार्य कर दिया है। जो व्यापारी ऐसा नहीं करेंगे उन पर 5000 की पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके लिए विभाग का धावा दल जल्द अभियान चलाएगा। पकड़े जाने पर तीन गुना पेनाल्टी के साथ-साथ कैशमेमो नहीं काटने का भी जुर्माना लगेगा। वैसे कैशमेमो नहीं काटने वाले व्यापारी के पकड़े जाने पर पहले उन्हें नोटिस दी जाएगी। उसके बाद उनपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। दूसरी बार पकडे जाने पर दुकानदारों पर पेनाल्टी के साथ-साथ निबंधन रद्द करने की कार्रवाई होगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.1.2014)

LIST OF HOLIDAYS OF THE CHAMBER FOR THE YEAR 2014

S. N.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY	NO. OF DAYS
1.	New Year's Day	01.01.2014	Wednesday	01
2.	Republic Day	26.01.2014	Sunday	01
3.	Basant Panchami	04.02.2014	Tuesday	01
4.	Holi	17.03.2014 18.03.2014	Monday Tuesday	02
5.	Independence Day	15.08.2014	Friday	01
6.	Birthday of Mahatma Gandhi	02.10.2014	Thursday	01
7.	Durga Puja	02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014	Thursday Friday Saturday	03
8.	Deepawali	23.10.2014	Thursday	01
9.	Chhath Puja	29.10.2014 30.10.2014	Wednesday Thursday	02
10.	Kartik Purnima/ Guru Nanak Jayanti	06.11.2014	Thursday	01
TOTAL				14

RESTRICIED HOLIDAYS

Employees can avail only three Restricted Holiday which are as follows: -

S.N.	Name of Holidays	Date	Day
1.	Chehallum	14.01.2014	Tuesday
2.	Mahashivaratri	27.02.2014	Thursday
3.	Ramnavmi	08.04.2014	Tuesday
4.	Mahavir Jayanti	13.04.2014	Sunday
5.	Raksha Bandhan	10.08.2014	Sunday
6.	Sri Krishna Janamashtmi	18.08.2014	Monday
7.	Eid-Ul-Fitr	29.07.2014	Tuesday
8.	Eid-Ul-Zoha (Bakrid)	06.10.2014	Monday
9.	Chitragupta Puja/ Bhaia Dooj	25.10.2014	Saturday
10.	Muharram	04.11.2014	Tuesday
11.	X-Mas Day	25.12.2014	Wednesday

निम्नांकित की विस्तृत जानकारी हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें

1. अपनी जिम्मेदारी को समझे, समय पर पूरा अग्रिम कर जमा करवायें।
2. अग्रिम कर जमा न करवाने पर ब्याज कब लगेगा, कब नहीं ?
3. करदाताओं की टी. डी. एस. से सम्बन्धित जिम्मेदारियाँ
4. करदाताओं का टी. डी. एस. वर्ष 2013-2014 में किस दर से कटेगा
5. करदाताओं की टी. सी. एस. से सम्बधित जिम्मेदारियाँ
6. फार्म 15 जी और एच ब्याज पर टी.डी.एस. न काटने के लिए कब जमा करवाया जा सकता है?

(साभार : टैक्स पत्रिका, दिसम्बर 2013)

निवेदन

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यदि उनके दूरभाष, ई-मेल, वेबसाईट इत्यादि में कोई परिवर्तन हो गया हो तो चैम्बर कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें।

चैम्बर ने मनायी पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी की पुण्य तिथि

स्व० खेमचन्द चौधरी के चित्र पुष्पांजलि अर्पित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष स्व0 खेमचन्द चौधरी की 39वीं पुण्य तिथि पर दिनांक14 जनवरी 2014 को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल की अध्यक्षता में स्व० चौधरी को भावभीनी श्रद्धांजली दी गयी। सर्वप्रथम सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर स्व० चौधरी को श्रद्धांजलि दी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए स्व० खेमचन्द चौधरी को एक स्पष्टवादी, निर्भीक, दयावान तथा सहज सुलभ व्यक्ति बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन व्यापार, उद्योग एवं समाज की प्रगति हेतु पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। स्व० चौधरी का आकस्मिक निधन उस वक्त हुआ जब वे दिनांक 14 जनवरी 1975 को पीड़ितों एवं जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े एवं कम्बलों का वितरण करने हेतु सड़क मार्ग से दरभंगा जा रहे थे। रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 14 जनवरी को उनकी पुण्य तिथि पर बैठक आयोजित कर चैम्बर सदस्य उन्हें स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करते हैं। वे हमारे प्रेरणा श्रोत थे। उनके सम्मान में चैम्बर के सामने की सड़क का नाम खेमचन्द चौधरी मार्ग रखा गया है।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने स्व० चौधरी के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में और चैम्बर के परिप्रेक्ष्य मे स्व० चौधरी जी की निर्भयता, व्यापारियों की समस्याओं को बुलंदी से उठाने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में होती है। स्व0 चौधरी ने अपना जीवन परोपकार, सच्चाई एवं सादगी में व्यतीत किया। संयोग भी ऐसा कि उनकी मृत्यु भी भले कार्य के दौरान ही हुई।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया ने कहा कि स्व० खेमचन्द चौधरी मेरे पिता तुल्य थे, मेरे गुरू थे। उन्होंने ही मुझे चैम्बर की सीढ़ियाँ चढ़ाईं। चैम्बर के 47वें वार्षिक अधिवेशन में बाबू जी (स्व० चौधरी) ने जिस निर्भीकता से भाषण दिया उसे देश के सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। वह प्रति आज भी चैम्बर के लाइब्रेरी में संजो कर रखी हुई है ।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उस उदारमना स्व० चौधरी जी से मिलने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला लेकिन उनकी निर्भीकता, स्पष्टवादिता के बारे में जो सुनता हूँ उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह अवश्य ही महान आत्मा थे ।

स्व0 चौधरी के पुत्र श्री आत्माराम चौधरी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि चैम्बर आज मेरे पिता की 39वीं पुण्य तिथि मना रहा है, उसे मैं उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान मानता हूँ। उनका जीवन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में समर्पित था। चैम्बर उनकी आत्मा थी। वे सदैव चैम्बर की बेहतरी के बारे में चिंतन करते थे। संयोग भी ऐसा कि चैम्बर का कार्य करते हुए ही वे पंचतत्व में विलीन हो गये। उनकी सीख थी– सदा सत्य और स्पष्ट बोलो और निर्भीक रहो। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो और हर संभव मदद करो। उनके बताये रास्ते पर हम चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री गोविन्द कानोडिया एवं श्री सुबोध जैन, श्री साँवल राम ड्रोलिया सहित काफी संख्या में चैम्बर के सदस्य उपस्थित थे।

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296